उत्तर रेलवे

[illegible]/सं.परि./03/2025 मंडल कार्यालय

[illegible].05.2025 नई दिल्ली

सभी परिचालन अधिकारी/दिल्ली मण्डल,

स्टेशन निदेशक: नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन एवं आनंद विहार,

सहायक परिचालन प्रबंधक/गाजियाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी /तुगलकाबाद,

सभी खड के यातायात निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक एवं स्टेशन मास्टर, दिल्ली मंडल।

संरक्षा परिपत्र – 03/2025

शंटिंग स्टाफ हेतु वॉकी-टॉकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल

विषय: शंटिंग कार्यों के दौरान वॉकी-टॉकी पर संवाद हेतु मानक संचार प्रोटोकॉल का पालन।

विगत दिनों में दिल्ली मण्डल में मण्डल अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि शंटिंग कर्मचारियों के बीच शंटिंग के दौरान वॉकी-टॉकी पर शंटिंग के संबंध में समुचित एवं सम्पूर्ण जानकारियों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है जिसके कारण भ्रामक स्थिति बन जाती है एवं असामान्य घटना के घटित होने कि संभावना बढ़ जाती है। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि शंटिंग कर्मचारी के द्वारा वॉकी-टॉकी पर पूरी शंटिंग के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी जैसे शंटिंग से संबंधित गाडी संख्या, गाडी का नाम, लाइन संख्या, सिग्नल या कांटा संख्या इत्यादि बातों की जानकारियों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है जिसके कारण कार्य में विरोधाभास पैदा होता है । अतः उपरोक्त कमियों को दूर करने के हेतु संरक्षा परिपत्र संख्या 03/2025, विषय शंटिंग कार्यों के दौरान वॉकी-टॉकी पर संवाद हेतु मानक संचार प्रोटोकॉल का पालन, निर्गत किया जा रहा है जिसके शंटिंग कर्मचारी के द्वारा समुचित पालन के द्वारा शंटिंग कार्य के दौरान वॉकी-टॉकी पर आपस में कार्य संबंधी बातों के आदान-प्रदान में कोई भ्रम पैदा नहीं हो।

मानक वॉकी-टॉकी संचार प्रोटोकॉल (Standard Walkie-Talkie Communication Protocol):

1. **पूर्ण जानकारी:**
   यदि किसी स्टेशन/यार्ड में दो शंटिंग स्टाफ (जैसे कॉटेवाले या शंटिंग मास्टर) को शंटिंग हेतु भेजा जाना है, तो उन्हें शंटिंग से संबंधित संपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से समझाकर ही भेजा जाए।
2. **स्थिति निर्धारण:**
   दोनों स्टाफ संबंधित गाड़ी और लाइन पर पहुँचे बिना कोई कार्य प्रारंभ न करें। एक स्टाफ इंजन साइड पर और दूसरा गाड़ी की पीछे की ओर जाएगा।
3. **पहला संवाद (इंजन साइड):**
   इंजन जोड़ने के पश्चात आगे का कॉटेवाला वॉकी-टॉकी पर निम्न जानकारी देगा:

N.Rly.

गाड़ी संख्या और गाड़ी का नाम

लाइन संख्या

(उदाहरण: "मैं राम सिंह, कॉटेवाला/नई दिल्ली बोल रहा हूँ, गाड़ी संख्या 12445, उत्तर संपर्क क्रांति एक्स्प्रेस, लाइन संख्या 14 पर इंजन जोड़ दिया है।")

दूसरा संवाद (पीछे साइड):

पीछे का कॉटेवाला उपरोक्त सूचना की पुष्टि करते हुए निम्न जानकारी देगा:

- अपना नाम
- गाड़ी संख्या और गाड़ी का नाम
- लाइन संख्या
- गुठके एवं सेफ्टी चैन हटाने की सूचना
- प्रेशर रिलीज करने की अनुमति

(उदाहरण: " मैं श्याम सिंह बोल रहा हूँ, गाड़ी संख्या 12445, उत्तर संपर्क क्रांति, लाइन संख्या 14 पर हूँ। गुठके एवं सेफ्टी चैन हटा रहा हूँ, प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ।")

संवाद की पुष्टि:

दोनों शंटिंग स्टाफ इस प्रकार के संवाद के बाद ही कोई भी शंटिंग कार्य प्रारंभ करें ताकि दोनों को पूर्ण विश्वास हो कि वे एक ही गाड़ी एवं एक हीलाइन पर शंटिंग कार्य कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

शंटिंग के दौरान सतर्कता, समन्वय और संवाद अत्यंत आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त संरक्षा परिपत्र में उल्लेखित शंटिंग कार्यों के दौरान वॉकी-टॉकी पर संवाद हेतु मानक संचार प्रोटोकॉल का पालन करके असामान्य घटनाओं से बचा जा सकते हैं और रेल के संरक्षित परिचालन में संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त संरक्षा परिपत्र के संबंध में सभी खंड के यातायात निरीक्षक कृपया अपने बीट के सभी स्टेशनों / यार्डों एवं सभी मुख्य स्टेशनों / यार्डों के स्टेशन अधीक्षक / मुख्य यार्ड मास्टर अपने-अपने स्टेशनों / यार्डों के संबंधित कर्मचारी को उपरोक्त संबंध में उचित तरीके से कौनसेलिंग करके उनका आश्वासन ले ले साथ ही अपनी निरीक्षण के दौरान इसकी जांच करें की उपरोक्त संरक्षा परिपत्र में उल्लेखित आदेशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है कि नहीं।

01/05/2025

(मधुकांत कुमार, भा.रे.या.से.)

मंडल परिचालन **प्रबंधक/सामान्य**

दिल्ली मण्डल / उत्तर रेलवे

N.Rly.